राजस्थान सरकार
आयोजना (समन्वय) विभाग

जयपुर, दिनांकः 16.03.202

कमांकःप.2(7)आयो./ग्रुप-2/2012

कार्यालय ज्ञापन

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.02.2022 के द्वारा श्री मुमताज मसीह के स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र के अध्यक्ष पद पर मनोनयन एवं मंत्रीमंडल आज्ञा कमांक प.11(1)मं.म./2021 दिनांक 14.03.2022 द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा दिये जाने के कम में मंत्रीमंडल सचिवालय की आज्ञा कमांक प. 11(1)मं.मं./1999 दिनांक 30.11.2012 व 07.12.2017 एवं प. 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार निम्न प्रकार से वेतन एवं सत्कार भत्ता तथा अन्य राजकीय सुविधाएं दिये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्र. सं.	मद	देय सुविधाएं
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	रु. 42,000/- वेतन एवं रु. 34,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा हैं)
2.	एक वाहन	जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु।
3.	चिकित्सा सुविधा	मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार।
4.	यात्रा भत्ता	मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को देय (ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता।
5.	दैनिक भत्ता	राजकीय कार्य हेतुः- (क) राज्य में रु. 1000/- प्रति दिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (ख) राज्य से बाहर रु. 1250/- प्रति दिन (100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक) (उक्त दोनों यात्राएं वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी)
6.	टेलीफोन	एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु। एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगीः- राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में
7.	ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/उपमंत्रीगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय होगी।

आवास भत्ता :

क्र. सं.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर	मासिक आवास भत्ता	विशेष विवरण
1.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी नहीं है।	रु. 10,000/-	इन्हें विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
2.	मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी है।	रु. 3,000/-	--

उक्त व्यय निम्न बजट मद से वहन किया जायेगाः-

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें
090 - सचिवालय
01 - राज्य स्तरीय आयोजना मशीनरी
11 - स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
92 - सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)

(नवीन जैन)
शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. माननीय अध्यक्ष, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र, जयपुर
2. उप सचिव, कार्मिक(ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को मय अतिरिक्त प्रति के
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, समन्वय